न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बीदासर, जिला चूरू राजस्थान

पिठासीन, अधिकारी श्योराम वर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 02/2017

रामदेव बनाम गंगाराम आदि

आदेश

दिनांक :- 3/8/21

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनीयम का सार यह है कि प्रार्थी का खेत खसरा नंबर 45 तादादी 36 बिघा 13 बिस्वा रोही ग्राम चक घंटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार है एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का खेत अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नंबर 44 तादादी 12 बिघा 01 बिस्वा व अप्रार्थी संख्या 2 का खेत खसरा संख्या 41 तादादी 27 बिघा 14 बिस्वा वाके रोही ग्राम चक घंटियाल बडी तहसील बीदासर के है लेकिन प्रार्थी जो खसरा नंबर 45 का खातेदार एंव काश्तकार है जिसमें जाने हेतु प्रार्थी की उक्त खातदारी भूमि तक आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. प्रार्थी खसरा नंबर 45 रोही चक घंटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चूरू में जाने हेतु खसरा नंबर 44 व 41 में से नया रास्ता कायम करने का अनुरोध किया है(रिपोर्ट तहसीलदार बीदासर कमांक राजस्व/2021/444 दिनांक 28/07/2021 के अनुसार नक्शे व नजरी नक्शे कि प्रति सलग्न है)।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पर विधिवत तामील हो चुकि है। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं व अप्रार्थी संख्या 2 जरीये अधिवक्ता हाजीर व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 बावजूद तामील के हाजीर नहीं इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अम्ल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 ने हाजीर अदालत होकर उक्त रास्ते बाबत् असहमती देकर अपना जबाव प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया है व काउन्टर क्लेम किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नंबर 54 तादादी 7 बिघ 10 बिस्वा रोही चक घंटियाल तहसील बीदासर का खातेदार है व प्रार्थी का खेत खसरा नंबर 45 व अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नंबर 44 रोही चक घंटियाल के लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 जो खसरा नंबर 41 व 54 का खातेदार काश्तकार है जिसमें जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 2 की उक्त खातदारी भूमि तक आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है। भू अभिलेख निरिक्षक रिपोर्ट दिनांक 20/07/2021 के आधार पर नजरी नक्शे मे अंकित मार्ग GQRST पर रास्ता होना जाहीर किया है व साथ ही जाहीर किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेत मे पहले से कोई रास्ता नहीं था न आज दिन है। अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नंबर 41 मे से रास्ता दिया जाता हो तो अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 45 मे से होकर आप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा संख्या 54 मे भी रास्ता कायम किया जावे।
4. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार बीदासर से चाहे जाने पर जरीये कमांक राजस्व/2021/444 दिनांक 28/07/2021 हुई जिसके अनुसार ग्राम चक घंटियाल बडी के खसरा नंबर प्रार्थी का खेत खसरा नंबर 45 व अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खेत संख्या 41 व 54 की खातेदारी के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा नंबर 41, 44, 45 मे से चाहा गया है। खसरा नंबर 41 मे से मुताबिक रिपोर्ट व नक्शा G से Q 312 फूट लम्बा 16 फूट चौड़ा व Q से R 750 फूट चौड़ा व 16 फूट लम्बा व खसरा नंबर 44 मे रिपोर्ट व नक्शा अनुसार R से S 500 फूट चौड़ा व 16 फूट लम्बा व खसरा नंबर 45 मे नक्शा मे अंकित S से T 45 फूट लम्बा व

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

16 फूट चोड़ा रास्ते मौके पर होने कि व अप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नंबर 54 में भी आवागमन हेतु रास्ता दियं जाने की अभिशंषा कि है इस प्रकार कुल 25712 वर्ग फूट भूमि रास्ते में आयेगी। भूमि मौके पर बारानी है जो सड़क से दूर है। ग्राम चक घंटियाल बड़ी की डीएलसी /जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई दर 409344 प्रति हैक्टेयर है इस प्रकार उपरोक्त रास्ता भूमि 25,712 वर्ग फूट है जिसकी दुगुनी राशि 1,95,746 /– रूपये बनते है। सलंग्न नक्शे में रास्ता प्रचलीत लाल स्याही से GQRST दर्शाया गया है कि रिपोर्ट पेश की है जो निर्णय का भाग रहेगा।

5. तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि

(अ) तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार खेत खसरा नंबर 41 में से मुताबिक रिपोर्ट व नक्शा G से Q 312 फूट लम्बा 16 फूट चौड़ा व Q से R 750 फूट चौड़ा व 16 फूट लम्बा व खसरा नंबर 44 में रिपोर्ट व नक्शा अनुसार R से S 500 फूट चौड़ा व 16 फूट लम्बा व खसरा नंबर 45 में नक्शा में अंकित S से T 45 फूट लम्बा व 16 फूट चोड़ा प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमती अनुसार प्रवेश करेगा इस अनुरूप नक्शे में अंकन किया जावे।

(ब) खसरा नंबर 41 में 1062 वर्गफूट लम्बा व 16 फूट चोड़ा व खसरा नंबर 44 में 500 वर्गफूट लम्बा व 16 फूट चोड़ा एंव खसरा नंबर 45 में 45 वर्गफूट लम्बा व 16 फूट चोड़ा की रिपोर्ट तहसीलदार बीदासर के अनुसार कुल 25712 वर्गफूट भूमि कम करते हुए रास्ते का पृथक बट्टा नंबर नियमानुसार आंवटित किया जावे तथा किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित करते हुए रास्ता का शिवाय चक खाता (रास्ते/पगडंडीयां आदि) मेंदर्ज करावें।

(स) प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से तहसीलदार बीदासर द्वारा डीएलसी/जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की गई दर से दुगुनी राशि खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 को भुगतान जरीये चैक रूपये 1,29,360/– व अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान जरीये चैक रूपये 60,904 /– व प्रार्थी को भुगतान जरीये चैक रूपये 5482/– रूपये का पेश करते है तो रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन करे व भुगतान राशि पक्षकारों को चैक दिया जावे अन्यथा चैक राशि राजकोष में जमा कि जाकर पक्षकारगण प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जब चाहे प्राप्त कर लेंवे।

निर्णय आज दिनांक 03/08/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर